गो0ब0पन्त कृषि एंव प्रौ0 वि0वि0 पन्तनगर
पेड़ो की विक्री हेतु नीलामी सूचना

गो0ब0पन्त कृषि एंव प्रौ0 वि0वि0 पन्तनगर की समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना, फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर पर उपलब्ध 84 पॉपुलर एंव 82 यूकेलिप्टिस प्रजाति के वृक्षो की विक्री खुली बोली निविदा के माध्यम से दिनॉक **18.09.2019 सायः 3:00 बजे** होनी है, ठेकेदार/अधिकृत फर्म धनराशि रू0 दस हजार मात्र नकद/बैंक ड्राफ्ट जो कि नियन्त्रंक गो0ब0पन्त कृषि एंव प्रौधोगिकी विश्वविधालय पन्तनगर के नाम, भारतीय स्टेट बैंक/पंजाब नैशनल बैक/यूनियन बैक/यूको बैक की पन्तनगर शाखा पर देय हो के माध्यम से भुगतान कर नीलामी में भाग ले सकते है।

विक्री का पूर्ण विवरण एंव नीलामी की शर्तो हेतु उपरोक्त कार्यालय या विश्वद्यिालय की वेबसाइट (www.gbpuat.ac.in) में दिनॉक **08.09.2019** से प्राप्त/देखा सकता है।

20/8/19

(58-1)

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना समन्वित कृषि प्रणाली ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर
पोस्ट–पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन–263146

वृक्षों की बिक्री की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. वृक्षो की विकी में इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार दिनॉक 18.09.2019 को परियोजना स्थल पर रू0 10,000/– नकद जमा कर नीलामी में भाग ले सकते है।
2. वृक्ष जैसा है जहॉ है, के आधार पर लेना होगा तथा वृक्षो की गुणवत्ता का कोई उत्तरदायित्व परियोजना का नहीं होगा। अतः वोलीदाता को वोली लगाने से पूर्व मौके पर वृक्षो का भली–भॉति निरीक्षण स्वयं कर लें। नीलामी हो जाने के उपरान्त वृक्षो में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 10000/– को छोड़कर अन्य सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली की समस्त धनराशि अपने स्वयं के खाते से बैंक ड्राफ्ट/ बैकर्स चैक (जो कि नियन्त्रंक गो0ब0पन्त कृषि एंव प्रौधोगिकी विश्वविधालय पन्तनगर के नाम भारतीय स्टेट बैंक/पंजाब नैशनल बैक/यूनियन बैक/यूको बैक पन्तनगर पर देय हो) के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी। किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को कुल धनराशि का 60 प्रतिशत अग्रिम के रूप में पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर अग्रिम भुगतान के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा करनी होगी। इस धनराशि में नीलामी में भाग लेने हेतु जमा धनराशि रू0 10000/– को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उच्चतम बोलीदाता 60 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता हैं, तो नीलामी में भाग लेने हेतु जमा धनराशि रू0 10000/-- को जब्त कर लिया जायेगा एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर में अलग से बैंक ड्राफ्ट/ बैकर्स चैक के द्वारा जमा करनी होगी। जो की वृक्षो के कटान की समाप्ति पर नियमानुसार केता को वापस कर दी जायेगी। यदि केता 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि निश्चित अवधि में जमा नहीं करता है, तो 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना होगा।
7. शेष धनराशि 40 प्रतिशत माल की निकासी करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/ बैकर्स चैक द्वारा जमा करनी होगी, अन्यथा माल की निकासी की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस धनराशि में पूर्व में जमा रू0 10000/– को समायोजित कर लिया जायेगा।
8. सफल क्रेता को विकी स्वीकृत होने के 15 दिन में अपने खर्च पर 100.00 के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ लिखित अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
9. वृक्षो के विक्रय मूल्य पर निर्धारित जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभागों में पूर्ण दर पर जमा करना होगा, तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि क्रेता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा तथा उक्त शुल्कों के जमा होने के पश्चात् ही माल निकासी दी जायेगी।
10. विश्वविद्यालय/परियोजना के नियमित कर्मचारीयों/अधिकारी उनके परिवार के, सदस्य जैसे–पत्नी, बेटा, बेटी अथवा बहू के नीलामी में भाग नहीं लेंगें।

क्रमशः 2

11. वृक्षो की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई देय शुल्क आदि की धनराशि क्रेता को स्वयं जमा करनी होगी।
12. क्रेता तथा उसके आदमियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक विश्वविद्यालय तथा केन्द्र की किसी सम्पत्ति का नुकसान पहुँचाने/असामाजिक कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
13. किसी भी नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति में निहित है।
14. क्रेता द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर/Performance-Gaurantee हेतु जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. इस विक्रय के लिए अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर सोल आर्विट्रेटर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. विक्री स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर वृक्षों का कटान कर भूमि को समतल करना आवश्यक होगा। अन्यथा प्रतिदिन की दर से रू0 100.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। विलम्ब शुल्क (एक माह तक) के पश्चात् ठेका निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
17. वृक्षों की कटाई एवं माल निकासी वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के 15 दिन भीतर पूर्ण करनी होगी। वृक्षों का कटान क्रमवार करना होगा। विद्युत लाइनों, आवासो एवं भवनों के निकट स्थित बाधायुक्त वृक्षों के कटान में स्थिति के अनुसार विभागीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
18. प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्षों के जड़ के पास 15X15 सेमी0 का (+) का निशान लगा दिया जायेगा। उक्त प्रकार से चिन्हित धन (+) के वृक्ष ही क्रेता द्वारा काटे जायेंगे तथा वृक्षों की जड़ों का खुदान भी करना अनिवार्य होगा।
19. नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
20. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी के आदेशानुसार क्रेता से एक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के वृक्षारोपण (छूट प्रजाति को छोड़कर) रू0 100.00 प्रति वृक्ष के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय के नाम निरूपित (राष्ट्रीय बचत-पत्र) उक्त कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से साक्ष्य के साथ केन्द्र को देनी होगी।
21. क्रेता के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मचारीयों का परिचय-पत्र सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से बनवाना होगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को परिसर/परियोजना स्थल में अवांछित गतिविधि में संलग्न होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।
22. क्रेता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व पेन कार्ड/आधार कार्ड की छाया प्रति जमा करनी आवश्यक होगी।

परियोजना समन्वयक